दिनांक 06 –04–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा आदेश क्रमांक/राज/441 दिनांक 18–07–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है ।

वकील अपीलांट श्री पूनाराम विश्नोई उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.–07–2021 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया ।

अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप ने अपीलाधीन आदेश के जरिये तरमीम दुरस्ती करने मे धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का बिलकुल गलत अर्थ निकाला कर अपीलार्थीगण की सह खातेदारी की भूमि मे पूर्व मे खंसरा नम्बर 185/4 रकबा 44 बीधा एक ही खसरा था जिसको अपीलाधीन आदेश के जरिये खसरा नम्बर 185/4 का रकबा 32 बीधा कर दिया तथा नया खसरा नम्बर 185/9 रकबा 12 बीधा का अलग दर्ज कर दिया है । उक्त आदेश क्षैताधिकार के विपरित पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप ने किसी खातेदार को बिना पक्षकार बनाये बिना नोटिस दिये उसकी खातेदार की भूमि के रकबे मे परिवर्तन एवं नक्शे मे परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यह भी कथन किया कि धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे किसी खातेदार की भूमि मे रकबें को कम या अधिक करने एवं नक्शे मे स्वःप्रेरणा से परिर्वतन करने का प्रावधान नही है तथा जमाबन्दी व नक्शे मे सेग्रिगेशन कार्य मे खातेदार को नोटिस दिये बिना उसकी खातेदार की भूमि के खसरा नम्बर को विभिन्न भागो मे विभक्त नही किया जा सकता है बल्कि उक्त

कार्य एक नियमित वाद मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे ही सम्भव राज्य सरकार के परिपत्र एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अनसुार किसी खातेदार की भूमि में राजस्व रेकर्ड मे अगर कोई परिर्वतन किया जा है तो प्रभावित खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक ह इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत विहि होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एव प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किय कि उपखण्ड अधिकारी बाप का आदेश निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर, पुनः विधिवत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

हमने अपील अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का अवलोकन एव अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा तरमीम दुरस्ती आदेंश क्रमांक/राज/441 दिनांक 18-07-2021 दिनांक पारित किया है, जो न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक18-7-2021 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं हितबद्व खातेदारो को सुनवाई का नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खंसरा नम्बर 185/4 ग्रम श्री सुरपुरा के संबंध मे विधिसम्मत तरीके से पुनः नये सिरे से आदेश पारित करें । इस निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर